



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06042022-234897
CG-DL-E-06042022-234897

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1540]

नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 5, 2022/चैत्र 15, 1944

No. 1540]

NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 5, 2022/CHAITRA 15, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 अप्रैल, 2022

का.आ. 1609(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, छत्तीसगढ़ राज्य के मुंगेली जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-130A के कि.मी. 7.750 से कि.मी. 26.542 एवं कि.मी. 32.093 से कि.मी. 45.186 बिलासपुर-तखतपुर-मुंगेली मार्ग के निर्माण (दो/चार लेन पेव्ड शोल्डर बनाने आदि) अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लिए उक्त अनुसूची के स्तम्भ (4), (5), (6) और (7) में क्रमशः उल्लिखित राज्य, जिलों, तालुकों और गावों से सम्बन्धित उक्त अनुसूची के स्तम्भ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट भूमि के सम्बन्ध में अनुसूची के स्तम्भ (2) में उल्लिखित अधिकारियों को उक्त अधिनियम के अन्तर्गत सक्षम अधिकारियों के कृत्यों का निष्पादन करने के लिए एतद्वारा सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

अनुसूची

छत्तीसगढ़ राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-NH130A बिलासपुर-तखतपुर-मुंगेली के कि.मी. 32.093 से कि.मी. 44.186 पर भूमि का अधिग्रहण।

क्रमिक संख्या	सक्षम प्राधिकारी	भूमि का विवरण	राज्य	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम
1	2	3	4	5	6	7
1	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मुंगेली छत्तीसगढ़	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH130A के कि.मी. 32.093 से 44.186 तक	छत्तीसगढ़	मुंगेली	मुंगेली	1 कुँआगांव

[फा. सं. RO/NH/CG-2021-22/LA]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th April, 2022

S.O. 1609(E).— In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land specified in the corresponding entry in column (3) of the said Schedule relating to state, districts, taluk and villages mentioned in column (4), (5), (6) and (7) respectively of the said Schedule for Rehabilitation & upgrading to 2/4 laning with paved shoulder configuration of National Highway 130A Bilaspur-Takhatpur-Mungeli Road from Km. 7.750 to Km. 26.542 & Km. 32.093 to Km. 45.786 in District Mungeli in the State of Chhattisgarh.

SCHEDULE

Acquisition of land in respect of National Highway 130A Bilaspur-Takhatpur-Mungeli road From
Km. 32.093 to Km. 44.186.

Sl. No.	CALA	Stretch	State	District	Taluk/Mandal	Name of the Village
1	2	3	4	5	6	7
1	Sub Division Officer (Revenue) Mungeli (Chhattisgarh)	32.093KM To 44.186KM	CHHATTISGARH	MUNGELI	Mungeli	1 Kunwagaon

[F. No. RO/NH/CG-2021-22/LA]

RAJESH GUPTA, Director